



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1144]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 12, 2016/वैशाख 22, 1938

No. 1144]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 12, 2016/ VAISAKHA 22, 1938

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2016

**का.आ.1713 (अ).-** यतः दिल्ली मुख्य योजना में इसके अन्तर्गत उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में केन्द्र सरकार का जिन कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा-44 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2016 की का.आ.सं. 552(अ) के तहत सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा(3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है; और

3. यतः केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, दिल्ली मुख्य योजना-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है:

4. अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त दिल्ली मुख्य योजना-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है :

संशोधन:

**जोन के-11 (द्वारका) में आने वाली भूमि के निम्नलिखित क्षेत्र के भूमि उपयोग में निम्नानुसार परिवर्तन किया जाता है :-**

क्र.सं.	अवस्थिति	क्षेत्र	भूमि उपयोग (दि.मु.यो-2021)	जिसमें भूमि उपयोग परिवर्तित किया जाना है	सीमाएं
1.	सेक्टर-25 द्वारका में स्थल	लगभग 89.72 हेक्टेयर (विद्यमान संरचनाओं / अनधिगृहीत भूमि को छोड़कर)	व्यावसायिक (सी-2)	सार्वजनिक, अर्ध-सार्वजनिक (पीएस-1) सामाजिक सांस्कृतिक सुविधाएं)	उत्तर: यूईआर- II (100 मी0 चौड़ी सड़क) पूर्व: 80 मी0 चौड़ी सड़क पश्चिम: 60 मी0 चौड़ी सड़क दक्षिण: जिला पार्क / एमपी ग्रीन

[फा. सं. के-13011/8/2016-डीडी-1]

सुनील कुमार, अवर सचिव,

**MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT**

(DELHI DIVISION)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th May, 2016

**S.O.1713(E).**—Whereas certain modification which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. No. 552 (E) dated 22.02.2016 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas no objection/suggestion received with regard to the proposed modification by the Delhi Development Authority; and.

3. Whereas the Central Government have after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

**MODIFICATION:**

The land use of the following area of land falling in Zone-K-II (Dwarka) is changed as per description listed below:

Sl. No	Location	Area in ha.	Land use (MPD-2021)	Landuse changed to	Boundaries
1.	Site at Sector-25, Dwarka	89.72 hect. (excluding existing structures/ un-acquired land)	Commercial (C-2)	Public Semi-Public (PS-I, socio cultural facilities)	North: UER-II (100M wide road) East: 80m wide road West: 60m wide road. South: District Park/MP Green.

[F.No. K-13011/8/2016-DD-I]

SUNIL KUMAR, Under Secy.